G2C कार्यालय नगरपालिका मण्डल नोहर जिला हनुमानगढ (राज) G2C

Fax No : 01555-227335 Email: Nagarpalikanohar@gmail.com Phone No : 01555-220019

क्रमांक :– न.पा.नो. / भूमि / 2025–26 / 9281 दिनांक :–

कार्यालय आदेश

नगरपालिका नोहर के द्वारा चक 4 B.K.K. के पत्थर / मुरब्बा / खसरा संख्या 69 के किला नं. 03 ता 04, 5/3, 6/5, 07 ता 08, 13 ता 14, 15/7, 16/9, 17/12 8 18/2 की कुल भूमि 1.9938 है। यानि 19938 वर्गमीटर भूमि में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी नोहर के पत्रांक LSGCLU90A/2025-26/104895 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चूकी हैं। श्रीमान् निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.59 डीएलबी / एसटीपी / नोहर (86) / 15 / 375 दिनांक 09.12.2025 द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है व पालिका ले–आउट कमेटी क्रमांक 8260–8262 दिनांक 18.12.2025 द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं नियमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कॉलोनाईजर / खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बाबत् श्रीमान् निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.59 डीएलबी / एसटीपी / नोहर (86) / 15 / 375 दिनांक 09.12.2025 को मध्य नजर रखते हुए तथा कोलोनाईजर द्वारा लिखित उण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयवधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 17 ता 23 व 27 ता 30 कुल 11 भूखण्ड पालिका के पास रहन (प्लेज) रहेगें। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुदा प्लॉट पालिका द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत् कोलोनाईजर / खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तो के साथ जारी किया जाता हैं–

1. स्वीकृत ले–आउट प्लान में टाउनशिप पॉलिसी 2010 अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाईट, पार्को का विकास कार्य, पोधा रोपण, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ती व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर / खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवायी जावे और इस संबंध में पालिका किसी भी प्रकार का कार्य व्यय करवाने हेतु जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. खातेदार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क यथा प्रिमियम, लीज राशि, ब्राह्य शुल्क, विकास शुल्क, बीएसयूपी एवं अन्य शुल्क निर्धारित समयवधि में जमा करवाने होगें।
3. कोलोनाईजर / खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
4. श्रीमान् निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ.59 डीएलबी / एसटीपी / नोहर (86) / 15 / 375 दिनांक 09.12.2025 को मध्य नजर रखते हुये समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 17 ता 23 व 27 ता 30 कुल 11 भूखण्ड पालिका के पास रहन रहेगें। कोलोनाईजर / खातेदार द्वारा ज्यो–ज्यो विकास कार्य त्यों–त्यों रहन मुक्त किये जावेगें। नियत समावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में पालिका द्वारा रहन शुदा प्लॉट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकें एवं शर्तो की पालना की जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, नोहर

Scanned with CamScanner

5. संबंधित कोलोनाईजर/खातेदार पर 100/- रूपये के नॉनज्युडिशियल स्आम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर आवासीय भूखण्ड संख्या 17 ता 23 व 27 ता 30 कुल 11 भूखण्ड रहण किये है विकास कार्य करने के लिए अन्यथा उक्त 11 भूखण्ड पर कार्यवाही की जावेगी।
6. भूमि के स्वामित्व बाबत् किसी भी प्रकार विवाद होने पर संबंधित समस्त जिम्मेदारी कोलोनाईजर/खातेदार की होगी।
7. रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 100/- रूपये के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावें।
8. कोलोनाईजर/खातेदार को नियमानुसार RERA में पंजीयन करवाना होगा।

sd/-
प्राधिकृत अधिकारी एवं
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नोहर

क्रमांक :- न.पा.नो./भूमि/2025-26/9282 दिनांक :- 2/1/26

प्रतिलिपी-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ सादर प्रेषित है-

1. कोलोनाईजर/खातेदार श्री अमित कुमार पुत्र श्री बलदेव प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल व श्री नरेश कुमार पुत्र श्री देवकी नन्दन चाचाण जाति चाचाण निवासी करबां नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका नोहर।
3. श्रीमान् वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका नोहर।
4. भूमि शाखा नगरपालिका को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बांबत्।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नोहर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोहर

Scanned with CamScanner

NAGAR PALIKA, NOHAR
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

क्रमांक: LSGCLU90A/2025-26/104895 दिनांक: 25/06/2025

विषय: – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **AMIT KUMAR AGGARWAL** पुत्र श्री **BALADEV PRASAD AGGARWAL** जाति **AGGARWAL**

श्री **NARESH KUMAR CHACHAN** पुत्र श्री **DEVKI NANDAN CHACHAN** जाति **CHACHAN**

1. ऊपर नामित आवदेक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम, तहसील	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	CHAK 4 BKK, CHAK 4 BKK	1. AMIT KUMAR AGGARWAL SON OF BALADEV PARSAD AGGARWAL 2. NARESH KUMAR CHACHAN	MURRABA NO 69 KILLA NO 3,4,5/3,6/5,7,8,13,14,15/7,16/9,17/12,18/2	19938
			कुल	19938

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमावंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निवंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **25-06-2025** को पारित किया गया है।

Signature valid

Digitally Signed by BASANT.KUMAR7
Designation : EO/ COMMISSIONER
Date: 2025.06.25 16:30:10 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

नोट: यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Scanned with CamScanner

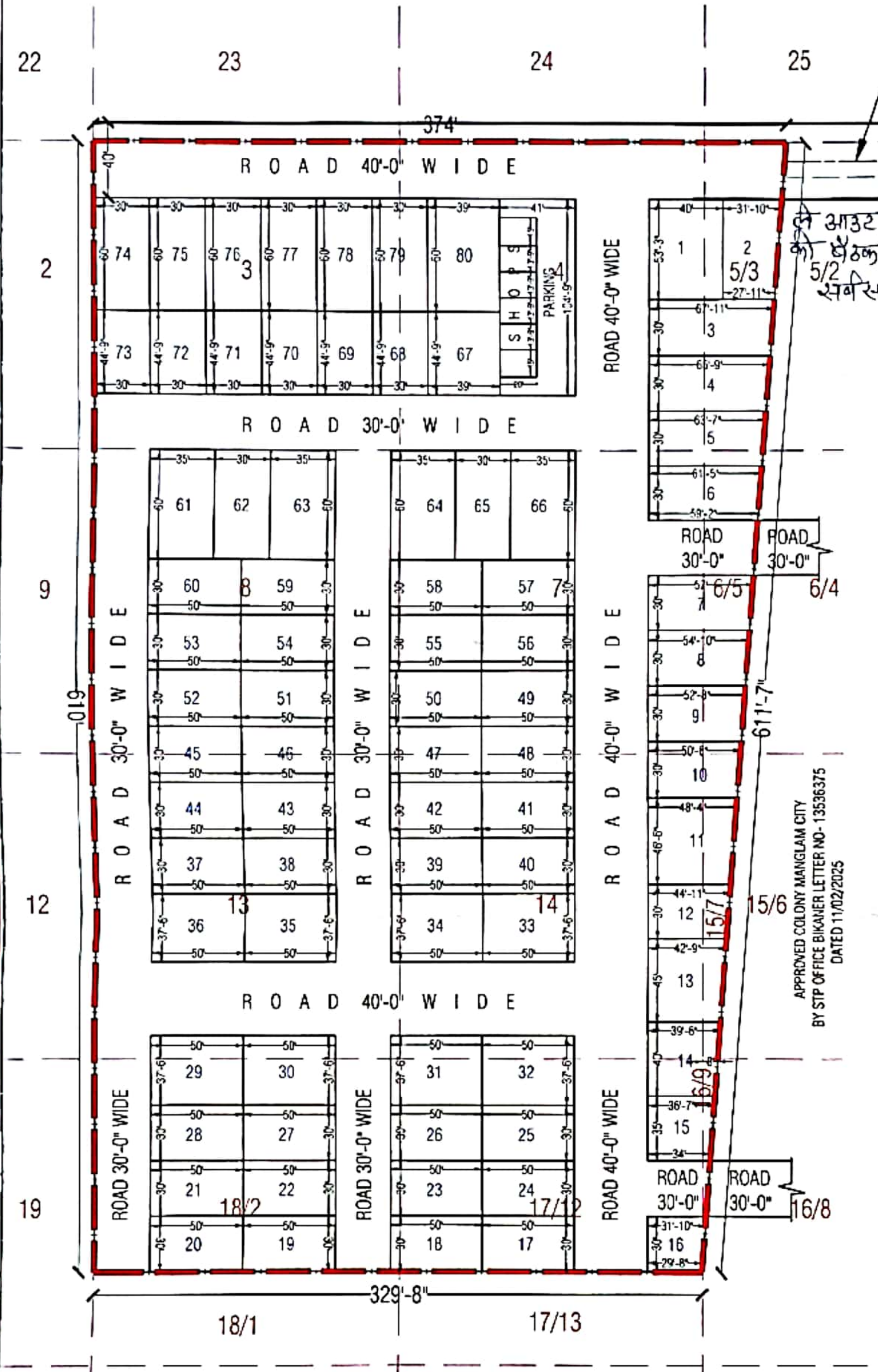

ले आउट कमेटी (क्रमांक 8260-8262) दिनांक 18.12.2025 को बैठक में खुश विहार कालोनी के ले आउट का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया है।

N

REFRENCES :-

KILA LINE

MURBA LINE AND STONE

PROPOSED AREA SHOWN AS

SCHEME BOUNDARY SHOWN AS

SCHEME AREA 1.9938 Hec.
OR 214610.88 SQ. FT.

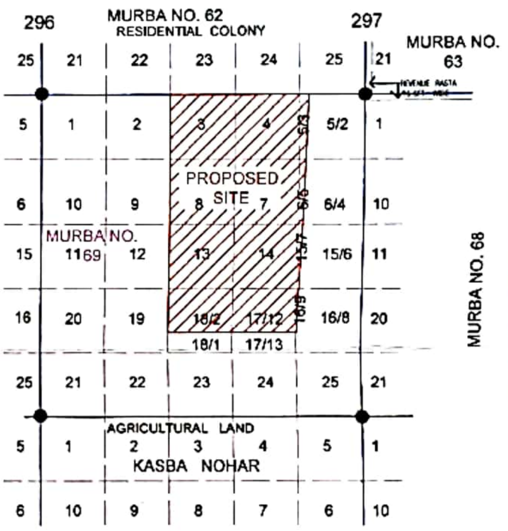

PART PLAN OF CHAK 4 B.K.K.
SCALE - 1 INCH = 70 FT.

AREA ANALYSIS

S.NO.	USE	AREA IN SQ. FT.	%AGE
1.	RESIDENTIAL	130618.40	60.86
2.	INFORMAL SECTOR	4294.75	02.00
3.	ROADS	79697.73	37.14
	TOTAL	214610.88	100.00

कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका नोहर

हरा सिंह गुर्जर
व.प्रारूपकार
न.पा. नोहर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, नोहर

अध्यक्ष
नगरपालिका नोहर

AAKAR INFRAPROJECTS
Prop.

PROPOSED "*KUSH - VIHAR-*" RESIDENTIAL COLONY
IN KILA NO. 3,4,5/3,6/5,7,8,13,14,15/7,16/9 ,17/12,18/2 OF MURBA NO. 69,
STONE NO. 297/439 OF CHAK 4.B.K.K., TEHSIL NOHAR, AT NOHAR DISTT.
HANUMANGARH.

Scanned with CamScanner